


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली ।

पत्रांक 706 / एस0टी0 / मु0वि0अ0 / शिक्षा
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
चन्दौली ।

दिनांक- 10-2-23

मैनेजर, राईजिंग सन वर्ड स्कूल, चकिया, चन्दौली के अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक-31.01.2023 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-697/एस0टी0/मु0वि0अ0/शिक्षा दिनांक-15.12.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0), चन्दौली से शासनादेश संख्या-89/अडसठ-3-2018-2041 /2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक-29 जून, 2020 के आलोक में नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।


उपरोक्त के क्रम में विद्यालय का निरीक्षण कर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली ने अपने पत्रांक-41/ए0ई-111 दिनांक-04.02.2023 द्वारा चेकलिस्ट पर आख्या उपलब्ध कराई है, जिसे इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न कर आपके पास इस आशय से प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार उपलब्ध कराई जा रही आख्या/चेकलिस्ट का विधिवत् परीक्षण नियमानुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उक्तानुसार।


(सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव)
मुख्य विकास अधिकारी,
चन्दौली ।

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र

विद्यालय का नाम- राईजिंग सन वर्ल्ड स्कूल, चकिया, चन्दौली

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ
3	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
4	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊँचा है ?	हाँ
5	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 1800 वर्गमी० है ?	हाँ
6	क्या भवन के चारों तरफ 6 मी० खुला स्थान है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
8	क्या भवन का ओरियेंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
9	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
10	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनी है ?	नहीं
12	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैंक है ?	हाँ
13	क्या भवन की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
14	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
15	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
16	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
17	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	हाँ
18	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
19	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राईजर 150 मि०मी० है ?	हाँ
20	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्प्रीन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
21	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
22	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
23	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 चन्दौली
 05/07/23

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली

पत्रांक 41/अखण्ड/2022-2023
सेवा में,

दिनांक 04-02-2023

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-चन्दौली।

विषय:- निर्मित राईजिंग सन वर्ल्ड स्कूल, चकिया, चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-697/एस0टी0/मु0वि0अ0/शिक्षा दिनांक-01.02.2023
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अइसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अइसठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राईजिंग सन वर्ल्ड स्कूल, चकिया, चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षणोंपरान्त प्रथम् दृष्टया विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है, जो जारी तिथि से एक वर्ष के लिये वैध माना जायेगा एवं किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नक:-चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

चन्दौली

दिनांक 04/02/23

पत्रांक

प्रतिलिपि:- मैनेजर, राईजिंग सन वर्ल्ड स्कूल, चकिया, चन्दौली को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

चन्दौली